# म0प्र0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,

## पंचानन भवन, तृतीय तल, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक 0755–2551652 वेवसाईट **www.mpagro.org**

---

## अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आफर फार्म वर्ष 2019–20

## फर्टिलाईजर कंट्रोल आर्डर (**FCO**) द्वारा पंजीकृत उत्पाद

## माईक्रोन्यूट्रीएन्ट एवं बायो एण्ड आर्गेनिक फर्टिलाईजर्स

दस्तावेज क्रमांक/रसीद क्रमांक एवं दिनांक

आफर फार्म का मूल्य रू. 1000/– (एक हजार मात्र)

कार्यालय, म0प्र0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल भोपाल (म0प्र0)

रसीद क्र.                    दिनांक                    राशि रू.

मे.————————————————————————

उपमहाप्रबंधक(पेस्टी)

M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, त तीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

क्र.मुख्या/पेस्टी/2019/ 2626 दिनांक 26.08.2019

## ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति''

उर्वरक नियंत्रक आदेश एवं सेन्ट्रल इनसेक्टिसाईट बोर्ड द्वारा पंजीकृत सामगियों जिनके दर अनुमोदन म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल (मार्कफेड) नेशनल एग्रीकल्चर को–आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (नेफेड) अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये जारी किये गये हैं, उन निर्माताओं/अधिकृत प्रदायक से ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

निगम के माध्यम से यदि अनुमोदित निर्माता/अधिकृत प्रदायक सामग्री प्रदाय हेतु सहमत हैं, तो निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं धरोहर राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित कर सामग्रियों का प्रदाय निगम के जिला कार्यालयों के माध्यम से कर सकेंगे।

''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विस्तृत विवरण निगम की बेबसाईट **WWW.mpagro.0rg** पर उपलब्ध है निर्माता /अधिकृत प्रदायक अपने प्रस्ताव तदनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं । आफर फार्म निगम मुख्यालय में राशि रू. 1000/– (रू. एक हजार मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

यह प्रस्ताव ''प्रथम आवे प्रथम पावे'' की प्रक्रिया पर आधारित है । जिन निर्माताओं / अधिकृत प्रदायकों के वैद्य प्रस्ताव निगम को प्राप्त होंगे उनके अनुमोदन निगम द्वारा नियमानुसार जारी किये जायेंगे । निगम के मुख्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.12.2019 निर्धारित की गई है । निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक प्राप्त आफर को ही विचार क्षेत्र में रखा जायेगा। किसी भी आफर या समस्त आफर को स्वीकार या निरस्त करने के समस्त अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के होंगे।

उपमहाप्रबंधक (पेस्टी.)

**नोटः– ''दिनांक 27.08.2019 को ''दैनिक भास्कर भोपाल एवं पत्रिका इंदौर में प्रकाशित ।'**

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
मुख्यालय,भोपाल.

विषयः– निगम द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु जारी ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' .
संदर्भः– निगम द्वारा समाचार–पत्र में जारी विज्ञापन दिनांक ––––––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत मार्कफेड/नेफेड/शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय संस्थान द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं सीआईबी अन्तर्गत पंजीकृत उत्पादों के अनुमोदन अनुसार निगम के माध्यम से व्यवसाय करने हेतु सहमत है।

निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप निम्नानुसार जानकारी मय दस्तावेज सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

1. ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य शर्तों का हस्ताक्षरित प्रति (सम्पूर्ण पृष्ट) ।
2. निर्धारित धरोहर राशि रू. 1.00 लाख (एक लाख राशि मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र. –––––––––––– दिनांक–––––––– बैंक –––––––––––––––––––– संलग्न ।
3. जिन उत्पादों का आफर प्रस्तुत किया जा रहा है उनके संबंधित विभाग द्वारा जारी अनुमोदन एवं किये गये अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति ।
4. आफरकर्ता की प्राथमिक एवं तकनीकी आर्हताओं का विवरण परिशिष्ट क्र.–1 के अनुसार ।
5. डीलर प्राईज की हस्ताक्षरित प्रति परिशिष्टक्र.–1 ''अ'' के अनुसार ।
6. कालीसूची में नाम दर्ज न होने से संबंधित परिशिष्ट क्र.–2 के अनुसार एफीडेविट ।
7. कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करने हेतु अधिकार पत्र परिशिष्ट क्र.–3 के अनुसार ।
8. आफर में प्रस्तुत उत्पाद फसल, पशु, मानव एवं पर्यावरण पर हानिकारक नहीं है, के संबंध में शपथपत्र परिशिष्ट क्र.–4 के अनुसार ।
9. कन्साईनमेंट आधार पर प्रदाय किये जाने वाले उत्पाद के संबंध में अनुबंध परिशिष्ट क्र.–5 के अनुसार ।

मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी दस्तावेजों के क्रम में लेख है कि मैं, निगम के माध्यम से सामग्री प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः निगम द्वारा आमंत्रित ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' के अन्तर्गत दरों का अनुमोदन जारी करने का कष्ट करें।

आफरकर्ता का नाम
हस्ताक्षर––––––––––
पता–––––––––––

दि. मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
मुख्यालय : पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल - 462003
फोन : (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com Website : www.mpstateagro.org **(CIN NO. U01119MP1969SGC001055)**

क्र./मुख्या./पेस्टी/2019/2697 दिनांक 29.08.2019

## अभिरूचि की अभिव्यक्ति–शुद्धि पत्र

दिनांक 27.08.2019 को दैनिक भास्कर, भोपाल एवं पत्रिका इंदौर में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

निगम द्वारा ''प्रथम आवें प्रथम पावें'' की प्रक्रिया के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे । प्रथमतः दिनांक 23.09.2019 तक प्राप्त प्रस्ताव विचारक्षेत्र में लिये जाएगें व अनुमोदन प्रसारित किया जाएगा, इसके पश्चात माह में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर आगामी माह के प्रथम सप्ताह में अनुमोदन जारी किया जाएगा अंतिम प्रस्ताव दिनांक 31.12.2019 तक प्राप्त किया जाएगा ।

आफर आमंत्रण में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो उसकी जानकारी निगम website-www.mpagro.org पर दी जाएगी, इस हेतु प्रथक से कोई सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी ।

उपमहाप्रबंधक (पेस्टी)

# वर्ष 2019–20 हेतु आफर फार्म

## एफ.सी.ओ पंजीकृत माईक्रोन्यूट्रीएन्ट एवं बायो एण्ड आर्गेनिक फर्टिलाईजर्स एवं सेन्ट्रल इनसेक्टिसाईट बोर्ड द्वारा पंजीकृत उत्पाद के निर्माताओं का आफर फार्म.

# सामान्य शर्ते

एम.पी. एग्रो भोपाल द्वारा एफ.सी.ओ. पंजीकृत माईक्रोन्यूट्रीएन्ट एवं बायो एण्ड आर्गेनिक फर्टिलाईजर्स एवं सेन्ट्रल इनसेक्टिसाईट बोर्ड द्वारा पंजीकृत उत्पाद जिनका अनुमोदन वर्ष 2019–20 में म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं नेशनल एग्रीकल्चर को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (नेफेड) अथवा शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा किया जा चुका है उन अनुमोदित प्रदायकों से आफर आमंत्रित किये जाते हैं । अनुमोदित प्रदायक यदि निगम के माध्यम से अनुमोदित दरों पर सामग्री प्रदाय हेतु सहमत है , तो निगम द्वारा निर्धारित की गई धरोहर राशि जमा कर निर्धारित अनुबंध निष्पादन उपरांत सामग्रियों का प्रदाय निगम के जिला कार्यालयों के माध्यम से कर सकेंगे।

आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं प्रदाय की शर्त निम्नानुसार रहेगी :–

1. आफरकर्ता द्वारा प्रबंध संचालक, एम.पी. एग्रो के नाम से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आफर प्रस्तुत करना होगा।

    1.1 आफर के साथ धरोहर राशि रू. 1.00 लाख (एक लाख ) धन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो '' **म0प्र0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल**'' को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

    1.2 बगैर अर्नेस्ट मनी के आफर पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. आफरकर्ता द्वारा उन्हीं उत्पाद केआफर निगम को दिये जायेंगे जिनकी दरों का अनुमोदन वर्ष 2019–20 में मार्कफेड /नेफेड अथवा अन्य किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थान द्वारा जारी किये गये हों।

    2.1 बिन्दु क्र.–2 के अनुसार जारी किये गये अनुमोदनों की सत्यापित प्रति आफर के साथ संलग्न की जायेगी ।

    2.2 आफर के साथ दरों के अनुमोदनों एवं किये गये अनुबंध की सत्यप्रति संलग्न की जाना अनिवार्य है । वांछित दस्तावेजों के अभाव में आफर पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3. आफरदाता को निर्माता की नोटरी द्वारा प्रमाणित डीलर दर सूची आफर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर दर की मूल्य सूची आफर हस्ताक्षर युक्त तथा नोटरी से सत्यापित 100/– रू0 के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्माता द्वारा शपथ पत्र के साथ देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ''1–अ'' पर संलग्न है।

    3.1 परिशिष्ट क्र. 2 में आफरकर्ता की प्राथमिक एवं तकनीकी आर्हताओं का विवरण संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

4. निर्माता का नाम किसी भी प्रान्त में शासन/अर्द्धशासकशीय संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं हो, इस आशय की घोषणा 100/– रूपये के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के द्वारा आफरदाता (निर्माता) को प्रस्तुत करनी होगी। जो नोटरी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है। शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ''6'' पर संलग्न है।

5. आफरदाता एग्रो को वर्ष 2019–20 में विक्रय उपरांत प्रदाय उत्पादों का भुगतान संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त होने के उपरांत, प्रदायक को भुगतान किया जावेगा।

6. प्रदायकों को उनके देयक का भुगतान जिला स्तर से किया जावेगा। भुगतान प्राप्त करने के पूर्व जिला कार्यालय में प्रस्तुत देयक के साथ प्रदाय की गयी सामग्री का चालान जिस पर बैचवार प्रदाय मात्रा, निर्माण एवं अवसान तिथि, प्राप्तकर्ता की सुस्पष्ट पावती मय सील एवं हस्ताक्षर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. आफरकर्ता की संरचना :– आफर प्रस्तुत करते समय आफरकर्ता यह घोषित करेंगे कि वह एकल स्वामित्व संस्था/फर्म है या पंजीकृत भागीदारी फर्म/निजी मार्यादित कंपनी/भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी/सहकारी समिति आदि। आफर में भागीदारी फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। आफरकर्ताओं द्वारा अधिकृत व्यक्ति की जानकारी अनुबंध के समय उपमहाप्रबंधक (एम.पी. एग्रो) को प्रस्तुत किये जावेंगे। अधिकृत व्यक्तिय को यह समझा जावेगा कि उसे आफरकर्ता की ओर से समस्त कार्य करने हेतु अधिकृत है।

8. कंपनी के लेटर हेड पर अधिकृत व्यक्ति के अधिकार पत्र का प्रारूप परिशिष्ट **''3''** के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

9. उत्पाद फसल, पशु, मानव एवं पर्यावरण पर हानिकारक नहीं है के संबंध में शपथ पत्र **परिशिष्ट** ''4''संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

**10. दर निर्धारण**

वर्ष 2019–20 में म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं नेशनल एग्रीकल्चर को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (नेफेड) एवं अन्य शासकीय विभागों अथवा अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित की गई दरों को यथास्वरूप मान्य किया जावेगा एवं दरों की वैद्यता मूल विभाग द्वारा जारी अनुमोदन में उल्लेखित तिथि के अनुसार रहेगी ।

10.1 यदि संबंधित विभाग /संस्थान द्वारा वैद्यता अवधि के भीतर दरों में परिवर्तन किया जाता है, तो धन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो '' **म0प्र0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल**'' को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बगैर अर्नेस्ट मनी के आफर पर विचार नहीं किया जावेगा। संबंधित आफरकर्ता/ प्रदायक का दायित्व होगा कि वे एम.पी.एग्रो को तत्काल सूचित करें ।

10.2 संबंधित विभागों द्वारा दरों में किया गया परिवर्तन यथास्वरूप मान्य होगा ।

**11 बिल एवं भुगतानः–**

**11.1)** प्रदायकर्ता को प्रदाय स्कंध के विरूद्ध वास्तविक रूप से विक्रय मात्रा एवं विक्रय मात्रा के विरूद्ध एम.पी एग्रो को संबंधित विभाग से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात किया जावेगा ।

**11.2)** कृषि विभाग/अन्य विभाग को स्कंध प्रदाय की दशा में कृषक अंश प्राप्त होने पर कृषक अंश की 90 प्रतिशत राशि का भुगतान प्राप्त कृषक अंश की मात्रा के अनुरूप देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। कृषि विभाग/अन्य विभाग से अनुदान की राशि प्राप्त होने पर अनुदान का भुगतान किया जावेगा। परंतु अनुदान राशि पूर्व में प्राप्त होती हैं एवं कृषक अंश प्राप्त न होने की दशा में अनुदान भाग का भुगतान नही किया जावेगा। जब तक कि कृषक अंश प्राप्त नही हो जाता।

11.3) समितियों एव नगद मे स्कंध विक्रय किये जाने पर राशि प्राप्त होने उपरांत प्रदायक को देयको की शत् प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावेगा। देयकों का भुगतान प्रदायक के साथ स्वीकृति शर्तों के अनुसार किया जावेगा। प्रदायक द्वारा बिल भुगतान हेतु विलंब से प्रस्तुत किये जाते है तो विलंब से किये गये भुगतान का उत्तरदायित्व एम.पी. एग्रो का नहीं होगा।

11.4) देंयको के भुगतान में विलबं होने की दशा में एम.पी एग्रो द्वारा ब्याज भुगतान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11.5) एम.पी. एग्रो को यह अधिकार होगा कि वह अपनी लेनदारी प्रदायकों को भुगतान योग्य देय शियों से समायोजित कर सकेगा। इस हेतु उसे राशि वसूली के लिये किसी न्यायलय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

11.6) प्रदायक द्वारा एम.पी. एग्रो के साथ अनुबंध के अन्तर्गत जो विक्रय दरें निर्धारित की गयी हैं उन विक्रय दरो से कम दरो पर अन्यत्र कही भी स्कंध विक्रय नहीं किया जावेगा तदाशय का शपथ पत्र अनुबंध निष्पादन के समय नोटरी से सत्यापित कराकर दिया जाना होगा। कम दरो से विक्रय करना पाये जाने पर दर अंतर की राशि प्रदायक से वसूल की जावेगी।

12. प्रदायक द्वारा एम.पी एग्रो के गोदामो पर प्रदाय की गयी सामग्री का आवश्यकता होने पर द्वितीय परिवहन प्रदायक की मौखिक/लिखित सहमति पर प्रदायक की रिस्क एण्ड कास्ट पर ही कराया जावेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा। आवश्यक होने पर प्रदायक का स्वयं अपनी ओर से ऐसे परिवहन कराये जा रहे स्कंध का बीमा स्वयं कराना होगा। बीमा न कराये जाने की दशा में स्कंध परिवहन होने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर क्षतिग्रस्त स्कंध के लिये एम.पी. एग्रो उत्तरदायी नहीं होगा। अपितु क्षतिग्रस्त स्कंध के बदले सामग्री का प्रदाय एम.पी. एग्रो को तत्काल आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

13. द्वितीय परिवहन आवश्यक होने पर प्रदायक द्वारा किया जाना होगा ।

14. यदि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा क्रय –विक्रय नीति में परिवर्तन किया जाता है। तो वह उभय पक्षों को मान्य होगा।

15. उपरोक्त नियम व शर्ते भी अनुबंध का भाग होगी। आफरकर्ता के अधिकृत व्यक्ति को आफर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर मुद्रा अंकित कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

16. आफर आमंत्रण संबंधी शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन की जानकारी एग्रो की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगें। इस हेतु पृथक से कोई सूचना प्रकाशित नही की जावेगी।

17. किसी भी आफर को पूर्ण अथवा आंशिक रूप स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार एग्रो के प्रबंध संचालक को होगा।

18. आमंत्रित आफर शर्तों एवं अनुबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में प्रकरण प्रबंध संचालक एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो. लि., आर्बीट्रेटर के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जावेगा । आर्बीट्रेटर का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को मान्य करना बंधनकारी होगा ।

**उपमहाप्रबंधक (पेस्टी)**

**मेरे द्वारा आफर की समस्त सामान्य शर्ते पढ़ ली गई है एवं उपरोक्त शर्ते क्रमांक 1 से 18 तक हमें मान्य हैं।**

**हस्ताक्षर........................................................**
**आफरकर्ता का पूरा नाम व पताः**
**सील सहित**

परिशिष्ट ''1''

# आफरकर्ता की प्राथमिक एवं तकनीकी अर्हताओं का विवरण

## प्रेषक,

..................................................................................(आफरकर्ता का नाम एवं पूर्ण स्थायी पता)

..................................................................................

..................................................................................(कार्यालय का पता)

..................................................................................

..................................................................................(मोबाइल नम्बर)

..................................................................................(मेल आईडी)

आफरकर्ता के अधिकृत व्यक्ति का पासपोर्ट साईज फोटो यहां चिपकायें। आफरकर्ता को अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर इस तरह करना होंगे आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर

## प्रति,

म0प्र0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल,

भोपाल (म0प्र0)

विषयः—

महोदय,

मैं हम निर्धारित सामग्री का निर्माण करते हैं एवं प्रदाय सामग्री की प्रस्तुत कर रहे हैं :—

| क्रं. | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आफरकर्ता का पूरा नाम | |
| 2 | पता | |
| 3 | दूरभाष क्रमांक कार्यालय कोड सहित | |
| 4 | निवास कोड सहित | |
| 5 | मेबाइल नम्बर | |
| 6 | ई—मेल आईडी | |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | फर्म का स्वरूप/एकल स्वामित्व/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की ओर से आफर भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति।<br>फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की ओर से आफर में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्त्यारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो, संलग्न की जावे।<br>स्वामी/प्रोप्राईटर द्वारा स्वयं आफर भरने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। | |
| 8 | तकनीकी आफर के साथ वांछित अमानत राशि की संलग्न डी.डी. का विवरण :– | बैंक का नाम एवं शाखा.................................<br>.............................................................................<br>क्रमांक .................................................................<br>दिनांक ................................................................<br>राशि .................................................................. |
| 9 | निर्माता कंपनी का जी.एस.टी. पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति | |
| 10 | निर्माता कंपनी का आयकर स्थायी खाता क्रमांक की स्वप्रमाणित छायाप्रति | |
| 11 | निर्माता का नाम किसी भी प्रान्त में शासन/ अर्द्ध शासकीय संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं हो, इस आशय की घोषणा नियमानुसार 100/– रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के द्वारा प्रदायकर्ता द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित प्रस्तुत करनी होगी। | |
| 12 | आफर फार्म क्रय किये जाने की मनी रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। | |
| 13 | मेरी/हमारी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूति राशि एम.पी. एग्रो की किसी भी निविदा/ आफर अन्तर्गत राजसात की गयी है। यदि हाँ मो विवरण दें। | |
| 14 | कंपनी का डीआईसी (डिस्ट्रिक इण्डस्ट्रीज सेंटर)/एसएसआई (स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज)/एनएसआईसी/एमएसएमई पंजीयन की छायाप्रति | |
| 15 | विनिर्माण कंपनी का आईएसओ 9001, 14001 एवं 18001 सीरीज के साथ अन्य संगत प्रमाणन, जिस कंपनी के पास उक्त तीनों जीवित आई.एस.ओ. अनिवार्य रूप से न हो उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। | |
| 16 | कंपनी का पिछले तीन वर्ष का कुल टर्नओवर एवं आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19. बैंक से इस बाबत् तीनों वर्षो के टर्नओवर एवे आडिट रिपोर्ट की पुष्टि स्वरूप प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाए। | |
| 17 | सेन्ट्रल एकसाइज का पंजीयन व पिछले तीन वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 के रिटर्न की फोटोकापी संलग्न की जाये। | |
| 18 | निविदा हस्ताक्षर करने वाले के पक्ष में पवर आफ अटार्नी | |
| 19 | केवल विनिर्माता कंपनी का ऑफर ही स्वीकार किया जावेगा। | |
| 20 | प्रस्ताव में प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेज हस्ताक्षरित व सील लगे न होने पर आफर अमान्य किया जाएगा। | |
| 21 | विनिर्माण कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी जीवित सेल परमीशन (विक्रय प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र जीवित होने चाहिए) | |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | प्रत्येक उत्पाद के लिए एफसीओ पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति | |
| 23 | विनिर्माण कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी जीवित सेल परमीशन (विक्रय प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र जीवित होने चाहिए) | |
| 24 | उत्पाद फसल के लिये हानिकारक नहीं है के संबंध में 100 रू. मूल्य के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न किया जावे। | |
| 25 | हर उत्पाद की पैकिंग पर रसायन के शरीर में त्वचा, स्वास, अथवा पेट में चले जाने पर उसके प्रभाव को कम करने में उपयोगी रसायन का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा। | |
| 26 | म0प्र0 ग्रेड के माईक्रोन्यूट्रीएन्ट मिक्सचर के लिए कंपनी के विक्रय प्राधिकार की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये | |
| 27 | डीलर मूल्य सूची ऑफर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसके साथ ही कंपनी के द्वारा यह उद्घोषणा भी लिखकर दी जानी होगी कि प्रस्ताव में जो दर दी जा रही है वह दर खुले बाजार में उसी उत्पाद के विक्रय दर की दर से कम है। | |
| 28 | प्रत्येक पैकिंग के उपर 24 X 7 आपातकालीन सेवा के रूप में नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। | |

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि मुझे/हमें/हमारी फर्म/संस्थान/कंपनी को किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेंसी से आफर प्रस्तुति की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है/ संबंधी संस्था को आगामी निविदा/आफर में भाग लेने से वंचित नहीं किया है।

यदि उपरोक्तानुसार शपथ में कोई जानकारी असत्य/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो मेरी/हमारी आफर निरस्ती योग्य होगी।

हम/ मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि आफर फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गयी प्रविष्ठया मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर.................................................
नाम...........................................................................
पदनाम.......................................................................
फर्म/कंपनी का नाम ...................................................
.................................................................................
पूरा पता ....................................................................
.................................................................................
हैसियत ......................................................................
मुहर ..........................................................................

नोट :– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरें एवं सम्पूर्ण कॉलम में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में आफर मान्य नहीं होगा।

परिशिष्ट "1" ''अ''

# DEALER PRICE LIST OF MANUFACTURING COMPANY AFFIDAVIT

I…………………………………………………………………..……………. (Name) S/o Shri……………………………………………………………… Age……………………… R/o …..……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………… and a Partner/Director of the Firm / Company named and functioning as M/s……………………………………………. hereby states an oath as Under :-

I . That, I am Partner/Director of the Firm / Company M/s……………………… and as a Partner / Director of the said Firm / Company, I am duly authorized and fully competent to swear this Affidavit on behalf of the said Firm/ Company.

2. That, the Dealer price list submitted by me to Agro, Bhopal with Offer Form No…………………… Date…………………. .is true and correct and I am responsible for any consequences therein .

DEPONENT

VERIFICATION

I…………………………………………………the above named Deponent to: hereby verify that the contents in para-I and 2 above is true and correct to the best of my personal knowledge and belief that no material fact has been concealed herein.

Verified and signed at ………………………on this…………………. day of…………….. 2019

DEPONENT

परिशिष्ट "2"

# DILIST/BLACK LIST AFFIDAVIT

I………………………………………………. (Name) Age………….. years S/o, Shri…………………………………….. R/o…………………………..…….and a Partner/Director of the manufacturing company named and functioning as M/s ………………………………………………………………………….. hereby states an oath as under:-

1. That I am a Partner/Director of the manufacturer firm/company M/s…………………………………….and as a Partner/Director of the said manufacturer firm/company, I am duly authorized and fully competent to swear this Affidavit on behalf of the said manufacturer firm/company.

2. That the said manufacturer firm/company M/s…………………… ………………………………. .is not delisted or blacklisted at any time by any State or Central Government or by any Undertaking /Institutions of the Central or State Government.

DEPONENT

VERIFICATION

the above named Deponent to hereby verify that the contents in Para-1 & 2 above are true and correct to the best of my personal knowledge and belief and that no material fact has been concealed herein.

Verified and signed at…………………….. on this………….. day of …………2019

DEPONENT

परिशिष्ट “3”

# (ON COMPANY LETTER HEAD)

## AUTHORITY LETTER

I………………………….……..…….Of M/s…………………………..……..... hereby authorized to Mr………………………… to make, sign and execute agreement for the sale of **PESTICIDE** to M.P. Agro on behalf of M/s……………………………………………………….. he is also authorized to make, sign and execute offer form agreement and any other document including legal documents, required to be signed for the purpose and to further necessary action on behalf of the company.

Any of the above acts carried out by Shri………………………………… in this regards shall have the same effect of an acts of the company's own.

Specimen Signature of Mr…………………………………………………. Has been attested

1 ……………………………………..

For M/s ………………………………

(Managing Director)

Or

(Authorised Signatory)

Date …………………………………

परिशिष्ट "4"

# NO TOXIC/RESIDUAL EFFECT AFFIDAVIT

I………………………………………………….. (Name) Aged…………..years S/o Shri………………………………………………R/o…………………………..…….. and a Partner/Director of the Firm /Company named and functioning as

M/s……………………………………………. hereby states an oath as under:-

1. That I am a Partner/Director of the Firm/Company of M/s……………………………………………………………………………….. and as a Partner/Director of the said Firm/Company, I am duly authorized and fully competent to swear this Affidavit on behalf of the said Firm./Company.
2. That the product supplied by the Firm/Company will bear its packing contents of the products, details of specification manufacturing & Expiry Date, Weight, Price name of manufacturer and details of using manual.
3. That the contents of product supplied by the Firm/Company has No Toxic/Residual effect on the crop and the land and will provide test report.
4. That we will provide using manual in Hindi & English inside the packing of our product.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

I……………………………………… (Name) the above named Deponent to hereby verify that the contents in Para-1 to 4 above are true and correct to the best of my personal knowledge and belief and that no material fact has been concealed herein. Verified and signed at…………………..….. on this………….…....day of ………..2019.

DEPONENT

परिशिष्ट क्र. –5

**कन्साईनमेंट आधार पर सीआईबी में पंजीकृत (पेस्टीसाईड एवं बायोपेस्टीसाईड) तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश में पंजीकृत उत्पाद की ट्रेडिंग हेतु वर्ष 2019–20 में क्रय करने हेतु अनुबंध पत्र ।**

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक.................. माह....... वर्ष......... को एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड. डेव्ह.कार्पो.लि., भोपाल–462003 मध्यप्रदेश जिसे आगे से (एम.पी.एग्रो) कहा जायेगा, द्वारा उपमहाप्रबंधक (उर्वरक) जो इस अनुबंध का एक पक्षकार होकर प्रथम पक्ष है तथा मे................ अधिकृत विक्रेता........................................ के है जिनका पंजीकृत कार्यालय.................. जिसे आगे से प्रदायक कहा जावेगा, द्वारा .............आत्मज श्री............................................. निवासी.................. ........... तथा इससे आशय स्वयं एवं उसके उत्तराधिकारी /निष्पादक/प्रशासक/प्रतिनिधि से रहेगा, जो कि द्वितीय पक्ष (पक्षकार क्र.–2) है , के मध्य निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुबंध निष्पादित किया जाता है :–

1. यह कि एम.पी.एग्रो ने उपरोक्त पक्षकार क्र.–2 प्रदायक द्वारा प्रदाय किये जाने वाले उत्पादों को कन्साईनमेंट के आधार पर एम.पी.एग्रो के साथ व्यवसाय/ट्रेडिंग करने हेतु ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' की शर्तों के आधार पर स्कन्ध प्रदाय करने हेतु सहमति दी जाती है, जो इस अनुबंध का भाग रहेगा, को स्वीकार करने की सहमति पक्ष क्र–2 द्वारा दी गई है।

2. यह कि उपरोक्त दरें एम.पी.एग्रो के प्राप्ति स्थान तकनीकी है एवं प्रदाय आदेश जारीकर्ता एम.पी.एग्रो द्वारा बताये गये गन्तव्य स्थान तक पहुँचाकर सभी प्रभारों जिसमें सभी प्रकार के कर सम्मिलित है, के साथ–साथ परिवहन , लोडिंग/अनलोडिंग व्ययआदि सम्मिलित है ।

3. यह कि उपरोक्त पक्षकार क्र.–2 प्रदायक इस आशय का घोषणा–पत्र , शपथपत्र के साथ अनुबंध निष्पादन के समय देगा, जिसमें उसके द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि उसे केन्द्र सरकार ,राज्य सरकार ,सरकारी उपक्रमों , सहकारिता संस्थायें एवं स्थानीय निकायों के द्वारा ब्लेक/डी–लिस्टेड नहीं किया गया है ।

प्रदायक अनुबंध के साथ संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र व्यवसायिक कर (जीएसटी नम्बर) व्यवसायकि कर का क्रमांग तथा सीआईबी में पंजीकृत (पेस्टीसाईड एवं बायो पेस्टीसाईड) तथा एफसीओ पंजीकृत जैव उर्वरक (तरल एवं पाउडर) उत्पाद का व्यापार करने हेतु कृषि विभाग द्वारा दिये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रतियॉ संलग्न कर प्रस्तुत की जावेगी ।

4. यह कि प्रदायक ने सहमति के साथ यह भी घोषित किया है कि उसके द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें अन्य विभागों को प्रदाय की जाने वाली दरों के समान ही है तथा यह दरें सम्पूर्ण म.प्र.राज्य में एक समान रहेगी ।

5. यह कि द्वितीय पक्ष प्रदायक यह भी आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा दी गई दरें अधिकतम खुदरा कीमत, सभी करों को सम्मिलित कर 10 प्रतिशत तक कम रहेंगी।

6. यह कि प्रदायक वर्ष 2019–20 के लिये जमा धरोहर राशि रू. पर किसी भी प्रकार के ब्याज की मांग नहीं करेगा ।

7. यह कि प्रदायक के द्वारा यह भी आश्वासन दिया जाता है कि वह सम्पूर्ण म.प्र.राज्य में जिला प्रबंधक, एम.पी.एग्रो के माध्यम से अनुबंध के आधीन प्रदाय किये जाने वाले उत्पादों को नियत स्थल पर प्रदाय करेगा ।

8. यह कि प्रदायक एम.पी.एग्रो द्वारा तकनीकी नाम से अनुमोदित उत्पादों जो कि जारी दर प्रसारण सूची में वर्णित है,जिन्हें म.प्र. में विक्रय करने की कृषि विभाग, म.प्र. के द्वारा विधिक अनुमति प्रदान की गई है ·

9. यह कि प्रदायक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता हर प्रकार से नियम एवं शर्तों के आधीन है, जो राज्य शासन , केन्द्र शासन तथा केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई हो ।

10. यह कि प्रदायक की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह उसके द्वारा प्रदाय की गई सभी सामग्री सीआईबी में पंजीकृत एवं एफसीओ में पंजीकरण के आधीन है तथा इसके संबंध में उनकी वैद्यता की जीवित अवधि एम पी एग्रो को प्रस्तुत करेगा ।

11. यह कि प्रदायक एम.पी. एग्रो के केन्द्र तक प्रदाय किये गये उत्पाद के संबंध में बैच नं. तथा प्रत्येक बैच की संख्या के साथ ही बैचवार मात्रा, निर्माण तिथि तथा अवसान की तिथि डिलेवरी चालान एवं देयकों में दर्शाते हुए प्रदाय करेगा ।

12. यह कि स्कन्ध प्रदाय किये जाने के दौरान होने वाली कमी और हानि अथवा अन्य हानि के पूर्ण रूप से प्रदायक के उत्तरदायित्व तथा जोखिम पर होगी ।

13. यह कि एम.पी.एग्रो उपरोक्त प्रदायक के द्वारा स्कन्ध प्रदाय के स्थान से भंडारण स्थल पर भंडारण की कार्यवाही किये जाने तक किसी भी प्रकार के नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

14. यह कि प्रदायक भुगतान हेतु प्रदाय की गई सामग्री के बिलों को चार प्रतियों में जिला प्रबंधक, एम.पी.एग्रो को प्रस्तुत करेगा ।
उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों में प्रदाय की गई सामग्री का बैच क्र., बैचवार मात्रा, निर्माण की तिथि तथा अवसान की तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

15. यह कि प्रदायक के द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की कीमत का 90 प्रतिशत जिला प्रबंधक एम.पी.एग्रो के द्वारा कन्साईनमेंट आधार पर प्रदाय की गई सामग्री में से वास्तविक रूप से विक्रय की गइ्र सामग्री की मात्रा के अनुरूप जिसका कि भुगतान पक्षकार क्र.–1 को प्राप्त हो जाने के उपरांत पक्षकार क्र.–2 को अनुबंध की शर्तों अनुरूप भुगतान किया जायेगा ।

16. यह कि एम.पी.एग्रो प्रदाय किये गये स्कन्ध की गुणवत्ता को मापदण्ड के आधार पर भंडारण किये गये स्कन्ध में से नमूने लेकर जॉच कराने का अधिकार होगा ।

17. यह कि प्रदायक के द्वारा प्रदाय की गई सामग्री शासकीय /एन.ए.बी.एल. प्रयोग शाला में परीक्षण के उपराक्त निम्न स्तर की पायी जाती है तो उसकी समस्त जवाबादारी प्रदायक की रहेगी ।

18. यह कि अमानक पाये गये स्कन्ध की सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु प्रदायक स्वयं उत्तरदायी होगा ।

19. यह कि प्रदायक के बिलों की रोकी गई धनराशि का भुगतान एम.पी.एग्रो के द्वारा नमूनों की जॉच रिपोर्ट प्रापत होने पर किया जावेगा । एम.पी.एग्रो 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान किये जाने की तिथि से 90 दिवस बाद प्रदायक को भुगतान करेगा ।

20. यह कि प्रदायक अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 , फर्टिलाईजर कन्ट्रोल आर्डर 1985, फर्टिलाईजर मूवमेंट कन्ट्रोल रूलस 1977 एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 अथवा अन्य विधियों या समय–समय पर जारी शासकीय निर्देशों का पालन के लिये बाध्य होगा ।

21. प्रदायक द्वारा प्रदाय की गई औषधि के अमानक पाये जाने के फलस्वरूप यदि कृषक की फसल प्रभावित होती है एवं नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में हानि की प्रतिपूर्ति प्रदायक द्वारा की जायेगी जिसके लिये एम.पी.एग्रो उत्तरदायी नहीं होगा ।

22. यह कि सीआईबी में पंजीकृत उत्पाद तथा एफसीओ में पंजीकृत उत्पाद की उत्पादन या वितरण पालिसी में राज्य 2केन्द्र शासन द्वारा कोई संशोधन किया जाता हे तथा ऐसे संशोधन से अनुबंध के दौरान या अनुबंध के समाप्त होने पर अनुबंध में संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो यह संशोधन प्रदायक पर बंधनकारी होगा ।

23. आफर पत्रक में दी गई शर्ते एवं नियम भी इस अनुबंध का भाग होंगें ।

24. यह कि आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के व्यवसाय हेतु समय–समय पर जारी किये गये प्रशासकीय निर्देशों को प्रदायक को मान्य करना अनिवार्य होगा ।

25. यह कि आमंत्रित आफर शर्तों एवं अनुबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में आर्बीटेशन के लिये निगम के प्रबंध संचालक के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होगा । आर्बीट्रेटर का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को मान्य करना बंधनकारी होगा ।

26 .यह कि यह अनुबंध पत्र दिनांक .........से दि.31 मार्च 2020 अथवा नये अनुबंध के निष्पादित किये जाने पर (जो भी बाद में हो) प्रभावशाली रहेगा ।

अत एव साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर आज दिनांक......... माह..... वर्ष............. को उपरोक्त पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये ।

**वास्ते– फर्म का नाम**

**वास्तेः– एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह. कार्पो. लि., भोपाल**

**प्रदायक के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा**

**उपमहाप्रबंधक (उर्वरक)**

**साक्षी / हस्ताक्षर**
**पताः–** ............................
...........................................
.......................................

**साक्षी / हस्ताक्षर**
**पताः–** ............................
...........................................
.......................................

**साक्षी / हस्ताक्षर**
**पताः–** ............................
...........................................
.......................................

**साक्षी / हस्ताक्षर**
**पताः–** ............................
...........................................
.......................................